


FORM NO.III

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अ अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

रतन माल बनाव नाम जगू प्री गाम्वाली

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 218/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रतन माल</u></p> <p>पिता श्री <u>पीता पुर्विमा</u></p> <p>निवासी <u>पानडोली</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>पानडोली</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1020, 1170, 1123, 1128, 1193, 1596, 1597, 1598, 1599, 1601, 1602, 1603, 1604, 1626, 1645, 2546</u></p> <p>कुल कीता <u>16</u> कुल रकबा <u>5.35</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पानडोली</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1020, 1120, 1123, 1128, 1193, 1596, 1597, 1598, 1599, 1601, 1602, 1603, 1604, 1626, 1645, 2546</u></p> <p>कुल कीता <u>16</u> रकबा <u>5.35</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रुपये अक्षर <u>15</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">             (रतन माल)            उपखण्ड अधिकारी            चित्तौड़गढ़ (राज.)         </p>